

नवा० ०३०८०/२०१८/ दिवा/ क्र० २०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खालियर सर्किं कोर्ट रोपा जिला रोपा म०प्र०।



- १- मुलसुआ पत्नी स्व० सुदर्शन प्रसाद पटेल उम्र ७५ वर्ष,
- २- मोहनलाल पटेल तनय स्व० श्री सुदर्शन प्रसाद पटेल उम्र ५० वर्ष,
- ३- शंकर पटेल तनय श्री मुलसुआ पटेल उम्र ६५ वर्ष,
- ४- शिवराज कुमार पटेल तनय श्री सुग्रीव प्रसाद पटेल उम्र ५० वर्ष,
- ५- राजकरण पटेल तनय श्री सुग्रीव पटेल उम्र ४५ वर्ष,
- ६- मुराठ कैलसुआ पत्नी श्री सुग्रीव प्रसाद पटेल उम्र ७० वर्ष,
- ७- बंशोपाल तनय श्री सुर्यदीन पटेल उम्र ६० वर्ष,
- ८- मुराठ कैलसुआ पत्नी स्व० सुर्यदीन पटेल मृत्

प्रधिय० श्री जी. एल०  
पटेल डापा वेशा। १४.५.१८ —— सभी निवासीग्राम बरोहा तहसील नईगढ़ी जिला रोपा म०प्र०।

श्रद्धिलाभीं अर्थात् । आवेदन

### बनाम

- १- राधिका प्रसाद पटेल उम्र ८२ वर्ष, १ वारो के पिता स्व० शालिक पटेल
  - २- राज्यर पटेल उम्र ७७ वर्ष,
  - ३- राजमणि पटेल उम्र ७२ वर्ष,
  - ४- रामसिया पटेल उम्र ६५ वर्ष
- सभी निवासी ग्राम बरोहा तहसील नईगढ़ी जिला रोपा म०प्र०।

अनावेदक गण ।

निगरानी विरह न्यायालय श्रीमान् अनुचिभागीय  
अधिकारी मठगंज जरिए प्र०प्र० १५/६-२७/१५-१६  
आदेश दिनांक १९-०४-१८, मुताविक धारा ५०  
म०प्र०भूराष्ट्रंहिता १९५९ ई० ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

- १- यहीक अधीनस्थ न्यायालय को आज्ञा विधि स्वं प्रक्रिया के विरह है ।
- २- यहीक अपीलान्ट गण / अनावेदक गण एक ही परिवार के हैं जो आपसी खाता विभाजन हेतु वादग्रस्त भूमियों को मुताविक धारा १७८ म०प्र०भू० रा०संहिता के तहत भूमि खाता नं० १२६/१, १२६/२, २३८, २५८, २७३, २७५,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रक्रमांक निग0 / 3080 / 2018 / भू—रा०

जिला—रीवा

फुलबसिया प्रसाद पटेल / राधिका प्रसाद पटेल

| (1)      | (2)   | (3) |
|----------|---|-----|
| 24.04.19 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता जी०एल० पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 151 / अ—२७ / २०१५—१६ में पारित आदेश दिनांक 19.04.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">~ ~</p> <p style="text-align: right;"> <br/>         (बी.एम. शर्मा),<br/>         सदस्य       </p> <p style="text-align: right;">~ ~</p> |     |